पत

(475)

न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.).

प्र.क्र. ~~/2018/~~
2017-18 / पुनरीक्षण (राजस्व)
निगरानी-2840/2018/भिण्ड/भू.रा.

श्री प्रमोद कुमार गोदकर
द्वारा आज दि. 9-5-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 21-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. छोटेसिंह

2. वीरेन्द्र सिंह

3. जीतेन्द्र सिंह पुत्रगण -हुकमसिंह, जाति-ठाकुर, निवासी-ग्राम-छबैता, तह०-गोहद, जिला-भिण्ड (मप्र) ......आवेदकगण

बनाम

1. गुलाब सिंह पुत्र मातादीन जाति-बघेले,
2. सुन्दर सिंह पुत्र अभिलाख सिंह जाति-बघेले
समस्त निवासीगण- ग्राम-छबैता, जिला-भिण्ड (म.प्र.) हाल निवास-अनावेदक क्रमांक 1 गुलाब सिंह, महाराजपुरा ग्वालियर .....
...अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 11.4.2018 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद जिला-भिण्ड, प्रकरण क्रमांक 102/2016-17 /अपील माल.

= =

श्रीमान् जी,

सेवा मे आवेदकगण का आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है:-

1. यह कि, आवेदकगण ने अधीनस्थ अपील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. तथा धारा 32 भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत आवेदकगण ने इस आधार पर प्रस्तुत किया कि आवेदकगण विवादित भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहे है। ऐसी स्थिति मे आवेदकगण इस प्रकरण के आवश्यक पक्षकार है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संक्षिप्त रूप से बिना आवेदन पत्र के विषयवस्तु को विचारण मे लिये बिना तथा आवेदन पत्र मे वर्णित तथ्यो को निष्कर्ष ...ये बिना आवेदकगण का आवेदन पत्र दिनांक 17.4.2018 को ...कर दिया जबकि रेस्पोन्डेन्ट क्रमांक 2 के आवेदनपत्रो को संक्षिप्त

--2--पर.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2840/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार गोहदकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	